रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड I
PART I—Section I
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 13, 2019/ज्येष्ठ 23, 1941
No. 165] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 13, 2019/JYAISTHA 23, 1941

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2019

सं. S.12012/47/2019-NHA (भाग 1). —दिनांक 2 जनवरी, 2019 के मंत्रिमंडल निर्णय के अनुसरण में नीति आयोग द्वारा दिनांक 1 फरवरी 2019 की अधिसूचना के द्वारा अधिसूचित एवं 19.4.2019 को आयोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के शासित बोर्ड की प्रथम बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के अनुरूप स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निम्नलिखित शक्तियां सौंपी हैं:-

1. **प्रशासनिक:** मुख्य कार्यकारी अधिकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का प्रशासनिक प्रमुख होंगे। वह शासित बोर्ड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सभी मामलों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के दायरे के भीतर / प्राधिकरण के शासित बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित नीति और प्रशासन के प्रमुख सलाहकार हैं और उनकी जिम्मेदारी शासी बोर्ड के अधीक्षण के अधीन पूर्ण और अविभाजित है। वह एनएचए के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर पूरा नियंत्रण रखेंगे।
2. **वित्तीय**: मुख्य कार्यकारी अधिकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के वित्तीय प्रमुख होंगे और निम्नलिखित शक्तियां उपयोग में लाएंगे:

    i) वह संगठन के कार्यों के संबंध में नीचे उल्लिखित नियमों के अंतर्गत भारत सरकार के सचिव की पूर्ण वित्तीय शक्तियों का उपयोग करेंगे:

    a) वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978;

    b) सामान्य वित्तीय नियमावली,1963 समय-समय पर यथासंशोधित

    c) मौलिक नियम एवं पूरक नियम

ii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निम्नलिखित मदों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

a) पदों का सृजन;

b) घाटे को बट्टे खाते डालना;

c) कुल बजट प्रावधानों का 10% से अधिक विनियोग और पुनर्विनियोजन

iii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दी गई शक्तियों का प्रयोग उनके द्वारा आईएफए के साथ परामर्श करके राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के लिए किया जाएगा जैसा कि व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया है।

iv) प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग, डीआरपीएफ 1978 के नियम 10.5 में निर्धारित शर्तों, तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य प्रक्रियात्मक एवं मितव्ययिता अनुदेशों आदि के अध्यधीन होगा।

3) परिचालनात्मक: शासित बोर्ड के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन, पीएमजेएवाई के कार्यान्वयन के लिए एनएचए पर सीईओ का पूर्ण परिचालनात्मक नियंत्रण होगा। इसमें निम्नलिखित शक्तियां शामिल होंगी.

i) मिशन के कार्यान्वयन शासित बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्थायी पदों पर कर्मचारियों की भर्ती और राज्य को अनुदान जारी करने सहित निधियां जारी करने के संबंध में किसी भी निर्णय के लिए उत्तरदायी होना। समय-समय पर संबंधित दिशा-निर्देश जारी करना आदि।

ii) प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करना और प्राधिकरण की ओर से निविदाओं के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होना;

iii) स्टाफ सदस्यों की भर्ती, पारिश्रमिक, अवधारण, समापन और अन्य नियोजन के लिए नीतियों का प्रस्ताव रखना और उनमें संशोधन करना जो प्राधिकरण द्वारा शासित बोर्ड, एनएचए के विचारार्थ नियुक्त किए जाएंगे। अनुमोदित प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत, सीईओ के पास पूर्ण शक्तियां होंगी।

iv) एनएचए की सभी वित्तीय शक्तियां जिनमें सभी प्रकार के व्ययों की परिचालनात्मक लागत और एनएचए द्वारा प्राप्त किसी अन्य निधि के संवितरण/उपयोग पर निर्णय आदि शामिल हैं।

v) परियोजना प्रबंधन यूनिटों का चयन करना और उन्हें कार्य का आदेश देना और बजट की उपलब्धता के अध्यधीन कार्यमूलक आधार पर प्राधिकरण के लिए कार्य करने के लिए कर्मचारियों, परामर्शदाताओं या किसी अन्य सलाहकारों का चयन करना और उन्हें पारिश्रमिक पर नियुक्त करना।

vi) पट्टा, संपत्ति (चल या अचल) को प्राप्त करना, किराए पर लेना या देना और प्राधिकरण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक रूप से उनका रख-रखाव करना।

vii) किसी भी भूमि, भवन और प्राधिकरण की किसी भी वस्तु के लिए आवश्यक या सुविधाजनक सभी कार्यों के निर्माण, लेआउट, रखरखाव, मरम्मत, पुनर्निर्माण और उपयोग के लिए अनुबंध करना जैसे ही अवसर हो।

viii) 1 वर्ष से कम अवधि के अल्पावधि समनुदेशन के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त करना।

ix) एबी-पीएमजेएवाई के सुचारू क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट अथवा सामान्य समितियों अथवा किसी अन्य निकाय / विभागों का गठन करना।

x) सभी सरकारी और कानूनी दस्तावेजों के लिए हस्ताक्षरकर्ता होना जो कि प्राधिकरण के कार्यों के लिए आवश्यक हो सकता है।

xi) मंत्रीमंडल के अनुमोदन के अनुसार पीएम-जेएवाई के कार्यान्वयन से संबंधित किसी परिचालनात्मक दिशा-निर्देश को संशोधित या निरस्त करना।

xii) प्राधिकरण के उद्देश्यों के महत्व या संयोजन के लिए किसी भी आपराधिक, दीवानी, प्रशासनिक, राजस्व, नगरपालिका, मध्यस्थता, सुलह या अन्य कार्यवाहियों या पूछताछ को शुरू करने, अभियोग चलाने, बचाव करने या आगे बढ़ाने, परित्याग, प्रतिवाद करने या प्रस्तुत करने के लिए कानूनी मामलों के विभाग के परामर्श से खुदरा एजेंटों, वकीलों, अधिवक्ताओं या वकील की नियुक्ति करना।

xiii) सुचारू वित्तीय प्रवाह सुनिश्चित करना और वार्षिक लेखा परीक्षित लेखाओं की समीक्षा करने और दान एवं अक्षयनिधि स्वीकार करने अथवा भारत सरकार की वर्तमान नीतियों के अनुसार ऐसी शर्तों पर अनुदान देने के लिए प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति की निगरानी करना।

xiv) शासित बोर्ड के अनुमोदन से प्राधिकरण के दक्ष कार्यप्रणाली से संबंधित वित्तीय, प्रशासनिक और मानव संसाधन नीतियां और दिशानिर्देश / नियम बनाना।

4. उपर्युक्त के अतिरिक्त, सक्षम प्राधिकारी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निम्नलिखित शक्तियां और कार्य भी सौंपे हैं:

i) केंद्र और राज्य सरकारों, गैर-लाभकारी संस्थाओं, बैंकों, बीमा कंपनियों, विश्वविद्यालयों, मिशनों सहित अकादमिक संस्थानों सहित अन्य सरकारी और निजी संस्थाओं के साथ रणनीतिक भागीदारी और सहयोग विकसित करना। थिंक टैंक और अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को पीएम-जेएवाई के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों में प्रतिष्ठित किया गया है।

ii) उपचार प्रोटोकॉलों, गुणवत्ता प्रोटोकॉलों, न्यूनतम प्रलेखन प्रोटोकॉलों, डाटा शेयरिंग प्रोटोकॉलों, डाटा गोपनीयता और सुरक्षा प्रोटोकॉलों, धोखाधड़ी की रोकथाम और दंडात्मक उपबंधों सहित नियंत्रण आदि के लिए मानकों का विकास करना और अनुपालन लागू करना।

iii) अपेक्षित मूलभूत घटकों के साथ एक अत्याधुनिक स्वास्थ्य सूचना प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, जिस पर पीएम-जेएवाई और अन्य स्वास्थ्य प्रणालियां आयोजित / सम्बद्ध किए जा सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मानकों को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के परामर्श से विकसित किया जाएगा।

iv) बीमा कंपनियों, थर्ड पार्टी प्रशासकों, अस्पतालों और अन्य हितधारकों को लक्षित करते हुए स्वास्थ्य बीमा विनियमों के विकास और कार्यान्वयन पर बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर काम करना।

v) देश भर में पीएम-जेएवाई का प्रभावी कार्यान्वयन और यथापेक्षित सुधार कार्रवाई करने सहित इसकी नियमित निगरानी करना।

vi) पीएम-जेएवाई के कार्यान्वयन के लिए नियमित आधार पर विभिन्न राज्य सरकारों के साथ समन्वय करना।

vii) राज्य स्वास्थ्य अभिकरणों और अन्य स्टॉकहोल्डरों का निरंतर क्षमता निर्माण।

viii) लाभार्थियों और अन्य स्टॉकहोल्डरों को इस योजना के बारे में सूचित करने के लिए जागरूकता कार्य करना।

ix) धोखाधड़ियों का पता लगाना, नियंत्रण करना और निवारण करना।

x) विभिन्न स्तरों पर सभी स्टॉकहोल्डरों के लिए शिकायत निवारण

xi) योजना के लिए एक दक्ष निगरानी प्रणाली स्थापित करना।

xii) क्रॉस लर्निंग को प्रोत्साहित करना, राज्यों के बीच सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करना और इन पद्धतियों का प्रलेखन करना।

xiii) केंद्रीय मंत्रालयों की योजनाओं के बीच अंतरसंचालनीयता, मानकीकरण और अभिसरण सुनिश्चित करना।

xiv) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर ज्ञान के आदान-प्रदान और सूचना के प्रसार सहित प्रासंगिक अनुसंधान और मूल्यांकन, अध्ययनों का संचालन और उसे सरल बनाना।

xv) सरकार द्वारा साक्ष्य आधारित निर्णय लेने और नीति निर्माण की सुविधा के लिए योजना के आंकड़ों और अन्य अनुसंधान /मूल्यांकनों से नीति निर्माताओं के लिए साक्ष्य उत्पन्न करना

xvi) राज्य स्वास्थ्य अभिकरणों को, जो पीएम-जेएवाई को कार्यान्वित करने के लिए स्थापित किए गए हैं, मार्गदर्शन प्रदान करना।

xvii) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर समनुदेशित कोई अन्य कार्यकलाप।

xviii) अपने उद्देश्यों को प्रभावी रूप से पहुंचाने के लिए अपेक्षित कोई अन्य भूमिका अदा करना।

डॉ. दिनेश अरोड़ा, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(National Health Authority)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2019

No. S.12012/47/2019-NHA (Part 1).—Pursuant to the Cabinet decision dated 2nd January, 2019 as notified by the NITI Aayog vide notification dated 1st February, 2019 and in line with the decision taken during the first meeting of the Governing Board of the National Health Authority held on 19.4.2019, the Competent Authority in the Ministry of Health & Family Welfare has delegated the following powers to the Chief Executive Officer, National Health Authority :-

1. **Administrative:** Chief Executive Officer shall be the Administrative Head of the National Health Authority. He is the Principal Advisor of the Governing Board, National Health Authority on all matters of Policy and Administration within the ambit of the National Health Authority/ delegated by the Governing Board of the Authority and his responsibility is complete and undivided subject to superintendence of Governing Board. He shall have complete control over the officers and other employees of the NHA.
2. **Financial:** Chief Executive Officer shall be the Financial Head of the National Health Authority and will exercise the following powers
   i) He shall enjoy complete financial powers of Secretary to Government of India under the rules mentioned below in respect of the affairs of the organization:
      a) Delegation of Financial Powers Rules, 1978;
      b) General Financial Rules, 1963 as amended from time to time;
      c) Fundamental Rules & Supplementary Rules.

ii) The powers in respect of the following items shall not be exercised by the Chief Executive Officer of National Health Authority.

a) Creation of Posts;
b) Write off of losses;
c) Appropriation and Re-appropriation, greater than 10% of total budget provisions

iii) The powers delegated to the Chief Executive Officer will be exercised by him in consultation with IFA to the National Health Authority as notified by the Department of Expenditure, Ministry of Finance from time to time.

iv) The exercise of delegated powers will be subject to the conditions laid down in Rule 10.5 of the DFPRs, 1978 and subject to other procedural and economy instructions etc., issued by the Government from time to time.

3) Operational: Subject to overall supervision of the Governing Board, CEO shall have the complete operational control over the NHA for the implementation of PMJAY. This shall include the following powers:

i) To be responsible for taking any decision relating to the implementation of the mission, recruitment and hiring of the staff against the permanent positions approved by the Governing Board, release of funds to the State, including release of grants-in-aid and issue relevant directions from time to time, etc.

ii) To represent the Authority and be responsible for the correspondence of and execution of contracts on behalf of the Authority;

iii) To propose and amendments to the policies for recruitment, remuneration, retention, termination and other terms of employment of staff members that would be engaged or employed by the Authority for the consideration of Governing Board, NHA. Within the approved operational guidelines, CEO will have full powers.

iv) All the financial powers of NHA including decisions on the operational costs of NHA all kind of expenditures and decisions on disbursement/utilization of any other funds received by NHA etc.

v) To select and award work order to project management units and to select and hire staff, consultants or any other advisors to work for the Authority on functional grounds subject to availability of budget.

vi) To acquire, hire or take on lease, property (movable or immovable) and provide their maintenance as may be necessary to carry out the objects of the Authority.

vii) To contract for construction, lay out, maintenance, repair, reconstruction and use of any land, buildings and all other works necessary or convenient for any of the objects of the Authority and to renovate, extend, demolish, alter, or otherwise deal with the same as occasion may arise.

viii) To hire experts for short term assignment of less than 1 year.

ix) To constitute specific or general committees or any other bodies/departments appropriate for smooth functioning of AB-PMJAY.

x) To be the signatory for all official and legal documents, as may be necessary for the functioning of the Authority.

xi) Make amendment, or repeal any operational guidelines pertaining to implementation of PM-JAY as per the approval of Cabinet.

xii) Commence, prosecute, defend or appear in to continue compromise, abandon, contest or submit to any criminal, civil, administrative, revenue, municipal, arbitration, conciliation or other proceedings or enquiry for the furtherance of or in conjunction with the objects of the Authority and appoint or retail agents, attorneys, advocates or solicitors thereof in consultation with Department of Legal Affairs.

xiii) Monitor the financial position of the Authority in order to ensure smooth financial flow and to review annual audited accounts, and accept donations and endowments or give grants upon such terms as per the extant policies of Government of India.

xiv) To frame financial, administrative and human resource policies and guidelines/rules relating to efficient functioning of the Authority with the approval of Governing Board.

4. In addition to the above, the Competent Authority has also delegated the following powers and functions to Chief Executive Officer, National Health Authority:

i) Develop strategic partnerships and collaboration with Central and State Governments, other public and private institutions including not-for-profit institutions, banks, insurance companies, academic institutions including universities, missions, think tanks, and other national and international bodies of repute in areas relevant to the objectives of PM-JAY.

ii) Develop, and enforce compliance with, standards for treatment protocols, quality protocols, minimum documentation protocols, data sharing protocols, data privacy and security protocols, fraud prevention and control including penal provisions etc.

iii) Build a state-of-the-art health information technology ecosystem with requisite foundational components on which PM-JAY and other health systems can be hosted/linked; Information Technology standards will be developed in consultation with Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).

iv) Work closely with Insurance Regulatory and Development Authority on development and implementation of Health Insurance Regulations targeting insurance companies, Third Party Administrators, hospitals and other stakeholders.

v) Effective Implementation of PM-JAY across the country and its regular monitoring including taking course correction actions, as and when required.

vi) Coordinate with various State Governments on a regular basis for implementation of PM-JAY

vii) Capacity building of State Health Agencies and other stakeholders continuously.

viii) Carrying out awareness activities for informing beneficiaries and other stakeholders about the scheme

ix) Prevention, detection and control of frauds an abuse

x) Grievance redressal for all the stakeholders at various levels

xi) Set up an efficient monitoring system for the scheme

xii) Stimulate cross learning, sharing of best practices amongst States and documentation of these practices

xiii) Ensure interoperability, standardization, and convergence amongst schemes of Central Ministries

xiv) Conduct and facilitate policy relevant research and evaluation studies including knowledge sharing and information dissemination at national and international levels.

xv) Generate evidence for the policymakers from scheme's data and other research/evaluations to facilitate evidence-based decision making and policy formulation by the Government.

xvi) Provide guidance to State Health Agencies that have been set up to implement PM-JAY.

xvii) Any other activities as assigned by the Government of India from time to time.

xviii) Undertake any other role as required to reach its objectives effectively.

Dr. DINESH ARORA, Dy. Chief Executive Officer

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.06.14 15:36:18 +05'30'